निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 24

23 आषाढ़ 1943 (श0)
पटना, बुधवार,
14 जुलाई 2021 (ई0)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग-1–नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	**2-23**
भाग-1-क–स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	---
भाग-1-ख–मैट्रीकुलेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	---
भाग-1-ग–शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	---
भाग-2–बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	---
भाग-3–भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	---
भाग-4–बिहार अधिनियम	---
भाग-5–बिहार विधान मंडल में पुर:स्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-7–संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है।	---
भाग-8–भारत की संसद में पुर:स्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-9–विज्ञापन	---
भाग-9-क–वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	---
भाग-9-ख–निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।	**24-24**
पूरक	---
पूरक-क	**25-25**

भाग–1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।

पथ निर्माण विभाग

अधिसूचना
4 जून 2021

सं0 निग/सारा–(निगम) आरोप–27/2021–2513(5)––राज्य सरकार द्वारा एशियन डेवलपमेंट बैंक से ऋण लेकर राज्य उच्च पथों का विकास किया जा रहा है। बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड द्वारा राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या–82 कादिरगंज–खैरा पथ का निर्माण कराया जा रहा है। उक्त पथ के निर्माण कार्य में गुणवत्ता के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई। इसकी जाँच 15.10.2020 को बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड के तीन सदस्यीय दल द्वारा की गयी। जाँचोपरांत समिति ने यह पाया कि पथ में निर्माणाधीन 02 पुलों एवं ड्रेन की गुणवत्ता संतोषजनक नहीं है। समिति के सदस्यों द्वारा पुनः जाँच की अनुशंसा की गयी। समिति द्वारा गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड द्वारा सम्बद्ध किये गये सुपरविजन कन्सल्टेंट पर डिफिसियेन्सी ऑफ सर्विस के लिए पैनाल्टी लगाने की अनुशंसा की गई।

2. इस पथ का पुनः निरीक्षण 08.04.2021 को मुख्य महाप्रबंधक, बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड द्वारा महाप्रबंधक के साथ किया गया। निरीक्षण के क्रम में उन्होंने कार्य की गुणवत्ता संतोषजनक नहीं पाई। उनके द्वारा स्थल भ्रमण के क्रम में डीबीएम सतह में क्रैक, कमजोर कार्य क्षमता, सोल्डर में कमी प्रतिवेदित किया गया। उन्होंने यह भी प्रतिवेदित किया है कि संवेदक, कार्य को पूर्ण करने की दृढ़ इच्छाशक्ति नहीं दिखा पा रहा है। उन्होंने कार्य स्थल पर अपर्याप्त मानव बल, मशीन एवं सामग्री पायी।

3. प्रश्नगत मामले में समीक्षा के क्रम में पाया गया कि राज्य उच्च पथ के कार्य में गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं करवा पाना अत्यंत गंभीर मामला है। प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड के पत्रांक–1148 (अनु0) दिनांक 13.04.2021 द्वारा इस परियोजना के प्रभारी कार्यपालक अभियंता, श्री सुशांत कुमार, उप महाप्रबंधक (तक0), परियोजना कार्यान्वयन इकाई, जमुई के विरूद्ध कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई है।

4. पथ के निर्माण कार्य में गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं करवा पाना श्री सुशान्त कुमार, कार्यपालक अभियंता सम्प्रति उप महाप्रबंधक (तक0), बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, जमुई की कार्य के प्रति गंभीर गैर जिम्मेदारी एवं अक्षमता का सबूत है। इन्होंने अपने कर्त्तव्य के निर्वहन में उदासीनता, घोर लापरवाही एवं पर्यवेक्षकीय दायित्व में चूक बरती है, जिसके कारण कार्य की गुणवता के साथ–साथ सयमबद्धता भी प्रभावित हुई है। श्री कुमार का यह कृत्य बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली–1976 के नियम 3 (i)(ii)(iii) यथा पूरी शिलनिष्ठा रखेगा, कर्त्तव्य के प्रति निष्ठा रखेगा, और ऐसा कोई काम न करेगा जो सरकारी सेवक के लिए अशोभनीय हो, का उल्लंघन है। अतएव श्री सुशांत कुमार, उप महाप्रबंधक (तक0), परियोजना कार्यान्वयन इकाई, जमुई को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9 (1) (क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

5. निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय अभियंता प्रमुख (मु0) का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना निर्धारित किया जाता है।

6. निलंबन अवधि के दौरान श्री कुमार को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 10 के अध्याधीन शर्त्तों के तहत अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

7. इनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संचालित करने हेतु अलग से नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।
8. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह0) अस्पष्ट, **उप–सचिव।**

———

सं0–2 / थाना–10–03 / 2021(खंड) गृ0आ0—4304
गृहविभाग
(आरक्षी शाखा)

———

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0)
वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना।

द्वाराः– वित्त विभाग

पटना, दिनांक 02.07.2021

विषयः– नालंदा जिला के राजगीर थानान्तर्गत नेचर सफारी ओ0पी0 का सृजन एवं उसके संचालन हेतु कुल–96 (छियानवे) पदों के सृजन की स्वीकृति।

आदेशः– स्वीकृत।

नालंदा जिला स्थित प्रसिद्ध पर्यटकीय क्षेत्र राजगीर अन्तर्गत जू सफारी के समीप वन क्षेत्र में एक नेचर सफारी की स्थापना की गई है। नेचर सफारी में विभिन्न स्वरूप के प्राकृतिक स्थलों तथा वनों के संवर्द्धन कर उनमें पर्यटकों के परिभ्रमण हेतु विभिन्न संरचनाओं एवं सुविधाओं का सृजन एवं विकास ईको फ्रेण्डली तरीके से किया गया है। नेचर सफारी का भौगोलिक क्षेत्र 5369.68 हेक्टेयर है। इसमें प्रतिदिन हजारों की संख्या में पर्यटकों का आवागमन संभावित है। इसका मुख्य प्रवेश द्वार नालंदा जिलान्तर्गत राजगीर से होकर गुजरता है।

नेचर सफारी राजगीर वन्य प्राणी आश्रयणी के दक्षिण–पश्चिम भाग में आसन्न सीमा से सटे अवस्थित है। नेचर सफारी का पहुँच मार्ग स्वर्ण भण्डार से जेठियन का सम्पर्क वन पथ है। नेचर सफारी में आने वाले पर्यटकों की सुरक्षा, नियमित गश्ती हेतु नेचर सफारी ओ0पी0 का सृजन किया जा रहा है। इस ओ0पी0 का मुख्य कार्य नेचर सफारी की सुरक्षा करना, नियमित गश्ती करना एवं पर्यटकों को सुरक्षा प्रदान करना होगा। पर्यटकों की सुरक्षा एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से नेचर सफारी के सम्पूर्ण क्षेत्र का पुलिस क्षेत्राधिकार (Police Jurisdiction) प्रस्तावित नेचर सफारी ओ0पी0 के अन्तर्गत होगा।

2. अतएव नेचर सफारी की सुरक्षा, नियमित गश्ती एवं पर्यटकों की सुरक्षा हेतु नालंदा जिला के राजगीर थानान्तर्गत नेचर सफारी ओ0पी0 का सृजन एवं उसके संचालन हेतु कुल–96 (छियानवे) पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई हैः–

क्र0	पदनाम	वेतनस्तर (Level)	पदों की संख्या
1.	पुलिस अवर निरीक्षक	L-6	4
2.	सहायक अवर निरीक्षक	L-5	6
3.	हवलदार	L-4	16
4.	सिपाही	L-3	64
5.	चालक सिपाही	L-3	6
कुल पद–			**96 (छियानवे)**

3. नालंदा जिला के राजगीर थानान्तर्गत नेचर सफारी ओ0पी0 का सृजन एवं उसके संचालन हेतु कुल–96 (छियानवे) पदों के सृजन पर होने वाला अनुमानित वार्षिक व्यय कुल–3,92,74,888 / –(तीन करोड़ बिरानवे लाख चौहत्तर हजार आठ सौ अठ्ठासी) रूपये मात्र है। **(परिशिष्ट–'क')**

4. नेचर सफारी ओ0पी0 के सृजन एवं इसके कार्यरत रहने में होने वाले व्यय की निकासी बजट शीर्ष संख्या–2055–पुलिस–109, जिला पुलिस–0001 जिला कार्यकारी दल एवं विपत्र कोड संख्या 22–2055.00.1090001 के अन्तर्गत उपबंधित राशि से की जायेगी तथा इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पुलिस अधीक्षक, नालंदा होंगे। इस राशि की निकासी जिला कोषागार, नालंदा से की जायेगी।

5. नेचर सफारी ओ0पी0 के अन्तर्गत पड़ने वाले क्षेत्रों की सूची संलग्न है। **(परिशिष्ट–'ख')**

6. ओ0पी0 तथा पदों के सृजन में वित्त विभाग की सहमति एवं मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है।

विश्वासभाजन,
गिरीश मोहन ठाकुर, अवर सचिव।

परिशिष्ट–'क'

नालंदा जिला के राजगीर थानान्तर्गत नेचर सफारी ओ0पी0 का सृजन एवं उसके संचालन हेतु कुल–96 (छियानवे) पदों पर होने वाले व्यय का अनुमानित वार्षिक व्यय विवरणी :–

क्र0	पदनाम		पदों की सं0	मूलवेतन	वार्षिक व्यय
1.	I	अवर निरीक्षक	4	35400	35400X4X12=1699200
	II	सहायक अवर निरीक्षक	6	29200	29200X6X12=2102400
	III	हवलदार	16	25500	25500X16X12=4896000
	IV	सिपाही	64	21700	21700X64X12=16665600
	V	चालक सिपाही	6	21700	21700X6X12=1562400
	कुल–		**96**		**योग :– 26925600**
2.	महंगाई भत्ता–सभी वेतन के योग का 17%				4577352
3.	चिकित्सा भत्ता–सभी कोटि को 1000 रु0 प्रतिमाह			96X1000X12	1152000
4.	मकान किराया भत्ता–6%				1615536
5.	राशन मनी भत्ता–सभी पदों के लिए 3000,			96X3000X12	3456000
6.	वहन भत्ता–(I) क्रमांक I एवं II को @2500 रु0 प्रतिमाह–			2500X10X12	300000
	(II) क्रमांक III , IV एवं V को @200 रु0 प्रतिमाह–			200X86X12	206400
7.	वर्दी भत्ता–(I) क्रमांक I एवं II को @11000 रु0 वार्षिक			11000X10	110000
	(II) क्रमांक III, IV एवं V को @ 10000 रु0 वार्षिक			10000X86	860000
8.	चालक भत्ता–1000 रु0 प्रतिमाह–			6X1000X12	72000
	कुल योग–				**3,92,74,888**

(तीन करोड़ बिरानवे लाख चौहत्तर हजार आठ सौ अठ्ठासी) रुपये मात्र।

सरकार के अवर सचिव।

परिशिष्ट–'ख'

नालंदा जिला के राजगीर थानान्तर्गत नेचर सफारी ओ0पी0 के अन्तर्गत पड़नेवाले क्षेत्रों की सूची :–

क्र0	क्षेत्र का नाम
1.	राजगीर मुख्य प्रवेश द्वार
2.	स्काई वॉक
3.	सश्पेंशन ब्रिज
4.	जिप लाईन
5.	मेन कैम्प एरिया
6.	बटरफ्लाई पार्क
7.	मेडिसिनल गार्डेन
8.	बिहार दर्शन
9.	सकुलेन्ट गार्डेन
10.	जेठियन गेट
11.	स्वर्ण भण्डार
12.	राजगीर से नेचर सफारी के मुख्य प्रवेश द्वार तक

सरकार के अवर सचिव।

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना
6 जुलाई 2021

सं0 **ई2–2–023/2010–25**––श्रीमती पूनम कुमारी (बिहार निर्वाचन सेवा), तत्कालीन उप निर्वाचन पदाधिकारी, अरवल –सह–जहानाबाद के विरूद्ध जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–जिला पदाधिकारी, जहानाबाद के पत्रांक–1467 दिनांक–23.07.2020 द्वारा कार्य में लापरवाही, अनुशासनहीनता एवं पदीय दायित्व के विरूद्ध कार्य करने का आरोप प्रतिवेदित किया गया।

2. जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–जिला पदाधिकारी, जहानाबाद द्वारा प्रतिवेदित आरोपों के संबंध में श्रीमती कुमारी से विभागीय पत्रांक–2883–सह–पठित ज्ञापांक–2883 दिनांक 02.09.2020 द्वारा पत्र प्राप्ति के पन्द्रह दिनों के अन्दर बिन्दुवार स्पष्टीकरण की मांग की गई। पुनः विभागीय पत्रांक–363 दिनांक 14.01.2021 द्वारा श्रीमती कुमारी को सात दिनों के अन्दर स्पष्टीकरण समर्पित करने हेतु स्मारित किया गया।

3. श्रीमती पूनम कुमारी, उप निर्वाचन पदाधिकारी, अरवल के पत्रांक–89 दिनांक 16.01.2021 द्वारा जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–जिला पदाधिकारी, जहानाबाद का पत्रांक–1467 दिनांक 23.07.2020 के प्रति की मांग की गई है, जिसे विभागीय पत्रांक–476 दिनांक 21.01.2021 द्वारा प्रेषित किया गया।

4. श्रीमती कुमारी के पत्रांक–124 दिनांक 22.01.2021 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित करने हेतु दो सप्ताह के समय की मांग की गई, जिसे स्वीकार करते हुए उन्हें स्पष्टीकरण समर्पित करने हेतु दो सप्ताह का अतिरिक्त समय प्रदान किया गया।

5. श्रीमती कुमारी के पत्रांक–175 दिनांक 15.02.2021 द्वारा उक्त स्पष्टीकरण से संबंधित प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जो अपठनीय था, के फलस्वरूप श्रीमती कुमारी से विभागीय पत्रांक–1182 दिनांक 05.03.2021 द्वारा पठनीय प्रति/मूल प्रति की मांग की गई, जिसकी पठनीय प्रति विभाग में उपलब्ध करायी गयी। आरोपित पदाधिकारी से प्राप्त स्पष्टीकरण की विभाग द्वारा समयक रूप से समीक्षा की गयी।

विभाग द्वारा श्रीमती कुमारी से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा के क्रम में निम्नांकित तथ्य पाया गया–

(i) विभागीय पत्रांक 777 दिनांक 03.03.2020 के आलोक में श्री राजेन्द्र कुमार कर्मशील, तत्कालीन उप निर्वाचन पदाधिकारी, जहानाबाद द्वारा बिहार विधान सभा चुनाव में सामग्रियों की आपूर्ति L1 आपूर्तिकर्त्ता से प्राप्त नहीं कर किसी अन्य से प्राप्त करने से सरकार को हुए नुकसान का आकलन करने के निदेश के अनुपालन में श्रीमती पूनम कुमारी को दिनांक 06.03.2020 को तत्संबंधी संचिका उपस्थापित करने का निदेश जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–जिला पदाधिकारी, जहानाबाद द्वारा दिया गया था, परन्तु श्रीमती पूनम कुमारी द्वारा 18.03.2020 तक संचिका उपस्थापित नही किया गया। इसके उपरान्त जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–जिला पदाधिकारी, जहानाबाद द्वारा स्पष्टीकरण मांगे जाने पर श्रीमती कुमारी ने अपने पत्रांक 292 दिनांक 30.04.2020 द्वारा जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–जिला पदाधिकारी, जहानाबाद को अपने स्तर से न्याय संगत मंतव्य भेजने को लिखा गया।

उक्त के संबंध में श्रीमती कुमारी के स्पष्टीकरण से पाया गया कि संबंधित संचिका जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–जिला पदाधिकारी, जहानाबाद के समक्ष दिनांक 18.03.2020 तक उपस्थापित नहीं करने के संबंध में आरोपित पदाधिकारी द्वारा कोई तथ्य नहीं दिया गया एवं अप्रासंगिक बातों का उल्लेख कर आरोप से बचने का प्रयास किया गया। श्रीमती कुमारी के पत्रांक 292 दिनांक 30.04.2020 में जिला पदाधिकारी को अपने स्तर से न्याय संगत मंतव्य विभाग को भेजे जाने का अनुरोध करना उनके दायित्वों से विमुख होने के साथ ही उनके पदीय दायित्वों के आचरण के प्रतिकूल पाया गया।

(ii) जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–जिला पदाधिकारी, जहानाबाद द्वारा वित्तीय अनियमितता की जांच हेतु ज्ञापांक 1156/गो०, दिनांक 02.06.2020 द्वारा गठित समिति के औचित्य पर श्रीमती कुमारी द्वारा प्रश्न चिन्ह लगाया गया। उक्त के संबंध में श्रीमती कुमारी द्वारा स्पष्टीकरण में अंकित किया गया कि–उनके द्वारा गठित जांच दल पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया गया है, अपितु उनके द्वारा उक्त संदर्भ में सुझाव दिया गया था, जो उप निर्वाचन पदाधिकारी का मौलिक दायित्व है। श्रीमती कुमारी के इस कथन से स्पष्ट होता है कि अपने वरीय पदाधिकारी के द्वारा गठित समिति पर परोक्ष रूप से प्रश्न चिन्ह लगाया गया, जो उनके द्वारा वरीय पदाधिकारी के प्रति अनुशासनहीनता प्रदर्शित करने का परिचायक है। इस प्रकार श्रीमती कुमारी का आचरण अपने पदीय दायित्वों के प्रतिकूल पाया गया।

इस प्रकार श्रीमती पूनम कुमारी (बिहार निर्वाचन सेवा), तत्कालीन उप निर्वाचन पदाधिकारी, अरवल–सह–जहानाबाद के विरूद्ध वरीय पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना करने एवं पदीय दायित्वों का निर्वहन नहीं करने का आरोप स्थापित होता है।

6. अतः स्थापित आरोपों के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्रीमती कुमारी के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–14 (1) के तहत निन्दन की शास्ति अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है।

7. उक्त विभागीय निर्णय के आलोक में श्रीमती पूनम कुमारी (बिहार निर्वाचन सेवा), तत्कालीन उप निर्वाचन पदाधिकारी, अरवल–सह–जहानाबाद के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–14 (1) के तहत निन्दन (वर्ष 2020) की शास्ति अधिरोपित की जाती है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,

कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव।

स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

12 मार्च 2021

सं० 17/एफ 1–06/2021–320(17)––राज्य में स्वास्थ्य विभागान्तर्गत फार्मेसी के शैक्षणिक संस्थानों में सृजित एवं रिक्त पदों के विरूद्ध संविदा के आधार पर नियुक्त फार्मेसी शिक्षकों की संविदा अवधि विभागीय आदेश से विस्तारित की जाती रही है। संविदा पर कार्यरत फार्मेसी शिक्षकों की संविदा अवधि भिन्न–भिन्न तिथियों को पूरी होती है इस वजह से प्रत्येक वर्ष संविदा अवधि विस्तार करने में कठिनाईयाँ होती है। सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या–12534 दिनांक 17.09.2018 के आलोक में उच्च स्तरीय समिति द्वारा की गयी अनुशंसाओं को राजकीय फार्मेसी संस्थान, स्वास्थ्य विभाग के अधीन संविदा के आधार पर नियोजित फार्मेसी शिक्षकों पर निम्नवत् संसूचित किया जाता है–

(1) राजकीय फार्मेसी संस्थान, स्वास्थ्य विभाग के अधीन सृजित एवं रिक्त पदों पर नियोजित फार्मेसी शिक्षकों की नियोजन अवधि के संबंध में–

(क) संविदा पर नियोजित एवं कार्यरत फार्मेसी शिक्षकों का नियोजन पूरी तरह अस्थायी है तथा उच्च स्तरीय समिति के अनुशंसा के आलोक में नियमित नियुक्ति अथवा सेवानिवृति की आयु, जो भी पहले हो, तक के लिए है। फलतः संविदा के आधार पर नियोजित फार्मेसी शिक्षकों का प्रत्येक वर्ष संविदा अवधि विस्तार किए जाने की आवश्यकता नही होगी।

(ख) अस्वस्थता या अनुशासनिक आधार पर अथवा सेवा असंतोषजनक होने के कारण नियमित नियुक्ति अथवा सेवानिवृति की आयु जो पहले लागू हो, के पूर्व भी नियुक्ति प्राधिकार द्वारा सेवा समाप्त की जा सकती है।

(ग) संविदा नियोजन की अन्य शर्त्तें नियोजन के समय निर्गत नियोजन पत्र/एकरारनामा में अंकित यथावत रहेंगी।

(2) राजकीय फार्मेसी संस्थान, स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत संविदागत नियोजित फार्मेसी शिक्षकों के अवकाश के संबंध में–

(क) आकस्मिक अवकाश–सप्ताह में 5 दिन कार्य दिवस होने की स्थिति में एक वर्ष में 12 दिन एवं सप्ताह में 6 कार्य दिवस होने की स्थिति में एक वर्ष में 16 दिन।

(ख) अर्जित अवकाश–एक वर्ष में 16 दिन (सेवा के दूसरे वर्ष से लागू) एवं 60 दिन अधिकतम संचित किया जा सकता है।

(ग) मातृत्व अवकाश–प्रसुति प्रसुविधा (संशोधन) अधिनियम, 2017 "The Maternity Benefit (Amendment) Act, 2017" के आलोक में कंडिका (त) में मातृत्व अवकाश के संबंध में अनुशंसा की गयी है।

(घ) पितृत्व अवकाश–15 दिन (दो बच्चों तक)

(ड.) अवैतनिक अवकाश–30 दिन।

(3) अवकाश के संबंध में अन्य महत्वपूर्ण निर्देश–

(क) उपर्युक्त अवकाश कि स्वीकृति नियुक्ति प्राधिकार द्वारा प्रदान की जायेगी।

(ख) अवकाश उपभोग की सूचना पदस्थापन/प्रतिनियुक्ति के कार्यालय तथा मानदेय भुगतान के कार्यालय को प्रेषित किया जाना अनिवार्य होगा।

(ग) अवकाश किसी भी कर्मचारी का अधिकार नहीं है, अतः अवकाश पर जाने के पूर्व सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है। अनाधिकृत रूप से अवकाश पर जाने पर संबंधित पर अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है। जो कर्मी बिना किसी सूचना के 15 दिन या इससे अधिक अवधि के लिए अनुपस्थित पाये जाते हैं, उनके पद को रिक्त घोषित किया जायेगा एवं संविदा के आधार पर नियोजन की प्रक्रिया आरम्भ कर दी जायेगी।

(4) राजकीय फार्मेसी संस्थान, स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत संविदागत नियोजित फार्मेसी शिक्षकों के सेवा अवधि में मृत्यु होने पर अनुग्रह अनुदान–संविदा कर्मियों के सेवा अवधि के दौरान मृत्यु पर उनके निकटतम आश्रित को एक मुश्त चार लाख रूपये का अनुग्रह अनुदान देय होगा।

(5) राजकीय फार्मेसी संस्थान, स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत संविदागत नियोजित फार्मेसी शिक्षकों को सेवा से हटाये जाने की स्थिति में अपील का प्रावधान–कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर संविदा कर्मी की सेवा समाप्त की जा सकती है, तथापि मनमाने ढंग से किसी संविदा कर्मी को न हटाया जाए, इसलिए संविदा कर्मी की सेवा समाप्ति के विरूद्ध अपील का प्रावधान होगा। अपील का स्वरूप विभाग द्वारा तय किया जायेगा।

(6) उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसाओं एवं सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प के आलोक में उपर्युक्त निर्णय केवल उन्हीं फार्मेसी शिक्षकों के संबंध में लागू होगी, जिन नियोजित कर्मियों के संबंध में पद स्वीकृत हो, नियोजित कर्मी पद की अर्हता रखता हो, पद विज्ञापित किया गया हो, नियुक्ति हेतु चयन समिति का गठन किया गया हो एवं चयन प्रक्रिया अपनायी गयी हो, नियुक्ति सक्षम प्राधिकार द्वारा की गयी हो एवं सरकार द्वारा स्थापित आरक्षण के सिद्धांत का अनुपालन किया गया हो अर्थात नियोजन की प्रक्रिया/नियोजन वैध हो।

उक्त में माननीय मंत्री, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश से,
कौशल किशोर, अपर सचिव।

वाणिज्य–कर विभाग

अधिसूचनाएं

2 जुलाई 2021

संo 6 / गो–34–01 / 2021(खण्ड–1)–1126––वाणिज्य कर विभाग के राज्य कर अपर आयुक्त कोटि के निम्नलिखित पदाधिकारियों को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ–6 में अंकित पद एवं स्थान पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है :–

क्रo सं0	पदाधिकारी का नाम / पदनाम	गृह जिला	वर्त्तमान पदस्थापन स्थान	बैच	प्रस्ताव
1	2	3	4	5	6
1	श्री बिनोद पाठक, राज्य कर अपर आयुक्त	भोजपुर	राज्य कर अपर आयुक्त, अपील, पटना पश्चिमी प्रमंडल, पटना	34	राज्य कर अपर आयुक्त, प्रशासन, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर
2	श्री जीवन अग्रवाल, राज्य कर अपर आयुक्त	दरभंगा	राज्य कर अपर आयुक्त, अपील, केन्द्रीय प्रमंडल, पटना	35	राज्य कर अपर आयुक्त, अपील, पटना पश्चिमी प्रमंडल, पटना का अतिरिक्त प्रभार
3	श्री सुजय प्रकाश उपाध्याय, राज्य कर अपर आयुक्त	पटना	राज्य कर अपर आयुक्त, प्रशिक्षण प्रकोष्ठ, मुख्यालय, बिहार, पटना	36	राज्य कर अपर आयुक्त, प्रशासन, केन्द्रीय प्रमंडल, पटना
4	श्री शशि रंजन कुमार, राज्य कर अपर आयुक्त	सीतामढ़ी	राज्य कर अपर आयुक्त, (अंकेक्षण), पटना पश्चिमी प्रमंडल, पटना	36	राज्य कर अपर आयुक्त, अपील, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर। राज्य कर अपर आयुक्त, अपील, सारण प्रमंडल, छपरा का अतिरिक्त प्रभार
5	श्री सजन कुमार रूँगटा, राज्य कर अपर आयुक्त	पूर्णिया	राज्य कर अपर आयुक्त, (अंकेक्षण), पटना पूर्वी प्रमंडल, पटना	36	राज्य कर अपर आयुक्त (अंकेक्षण), पटना पश्चिमी प्रमंडल, पटना का अतिरिक्त प्रभार
6	श्री विश्वनाथ महतो, राज्य कर अपर आयुक्त	समस्तीपुर	राज्य कर अपर आयुक्त, अपील, पटना पूर्वी प्रमंडल, पटना	36	राज्य कर अपर आयुक्त, प्रशासन, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा
7	श्री शंभु कुमार सिंह, राज्य कर अपर आयुक्त	सीतामढ़ी	राज्य कर अपर आयुक्त, अपील, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया	36	राज्य कर अपर आयुक्त, अपील, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा तथा राज्य कर अपर आयुक्त, अपील, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर का अतिरिक्त प्रभार
8	श्री ब्रज किशोर सिंह, राज्य कर अपर आयुक्त	जहानाबाद	राज्य कर अपर आयुक्त, (अंकेक्षण), तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर	36	राज्य कर अपर आयुक्त, (अंकेक्षण), सारण प्रमंडल, छपरा का अतिरिक्त प्रभार
9	श्री अमिताभ मिश्रा, राज्य कर अपर आयुक्त	मुंगेर	राज्य कर अपर आयुक्त, (वसूली कोषांग), पटना केन्द्रीय प्रमंडल	36	राज्य कर अपर आयुक्त, (प्रशासन), पटना पश्चिमी प्रमंडल, पटना
10	श्री विश्वनाथ पासवान, राज्य कर अपर आयुक्त	मुजफ्फरपुर	राज्य कर अपर आयुक्त, (अंकेक्षण), पुर्णिया प्रमंडल, पुर्णिया	36	राज्य कर अपर आयुक्त, (अंकेक्षण), भागलपुर प्रमंडल का अतिरिक्त प्रभार

प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
अरूण कुमार मिश्रा, विशेष सचिव।

30 जून 2021

सं0 6/गो–34–01/2021–1085––वाणिज्य कर विभाग के राज्य कर संयुक्त आयुक्त कोटि के निम्नलिखित पदाधिकारियों को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ–6 में अंकित पद एवं स्थान पर अगले आदेष तक पदस्थापित किया जाता है :–

क्र0 सं0	पदाधिकारी का नाम/पदनाम	गृह जिला	वर्त्तमान पदस्थापन स्थान	बैच	पदस्थापित कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
1	श्री विश्वकान्त तिवारी, राज्य–कर संयुक्त आयुक्त	कैमुर	अन्वेषण ब्यूरो, पूर्णियॉ प्रमंडल 08.08.2020 से	36 वीं	राज्य कर संयुक्त आयुक्त, मुख्यालय, बिहार, पटना
2	श्री उमानंद चौधरी, राज्य कर संयुक्त आयुक्त	दरभंगा	राज्य कर संयुक्त आयुक्त, प्रभारी, कटिहार अंचल, कटिहार	36 वीं	राज्य कर संयुक्त आयुक्त, प्रभारी, समस्तीपुर अंचल, समस्तीपुर
3	श्री ध्रुव कुंमार मिश्र, राज्य कर संयुक्त आयुक्त	दरभंगा	राज्य कर संयुक्त आयुक्त, प्रभारी, भभुआ अंचल, कैमूर	36 वीं	राज्य कर संयुक्त आयुक्त, प्रभारी, मुजफ्फरपुर पश्चिमी अंचल, मुजफ्फरपुर
4	श्री इन्द्र नारायण झा राज्य कर संयुक्त आयुक्त	सहरसा	राज्य कर संयुक्त आयुक्त, अंकेक्षण पूर्णिया प्रमंडल	36 वीं	वित्त विभाग को सेवा सुपुर्द
5	श्री विश्वनाथ गुप्ता, राज्य कर संयुक्त आयुक्त	मुजफ्फरपुर	राज्य कर संयुक्त आयुक्त, (अंकेक्षण), पटना पश्चिमी प्रमंडल, पटना	36 वीं	राज्य कर संयुक्त आयुक्त, प्रशिक्षण प्रकोष्ठ, मुख्यालय, बिहार, पटना
6	श्री सच्चिदानंद शर्मा, राज्य कर संयुक्त आयुक्त	मुंगेर	राज्य कर संयुक्त आयुक्त, प्रभारी, समस्तीपुर अंचल, समस्तीपुर	37 वीं	राज्य कर संयुक्त आयुक्त, प्रभारी, कटिहार अंचल, कटिहार
7	श्री मोती लाल, राज्य कर संयुक्त आयुक्त	गोपालगंज	बिहार भवन, नई दिल्ली	37 वीं	राज्य कर संयुक्त आयुक्त, मुख्यालय, बिहार, पटना
8	श्री प्रमोद कुमार, राज्य कर संयुक्त आयुक्त	पटना	राज्य कर संयुक्त आयुक्त, अन्वेषण ब्यूरो, सारण प्रमंडल, छपरा	37 वीं	राज्य कर संयुक्त आयुक्त, प्रभारी, भभुआ अंचल, कैमूर
9	श्री अशोक कमार यादव, राज्य कर संयुक्त आयुक्त	कटिहार	राज्य कर संयुक्त आयुक्त, प्रभारी, मधुबनी अंचल, मधुबनी	38 वीं	राज्य कर संयुक्त आयुक्त, अन्वेषण ब्यूरो, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया
10	श्री अब्दूल्लाह अंसारी, राज्य कर संयुक्त आयुक्त	सीवान	राज्य कर संयुक्त आयुक्त, अन्वेषण ब्यूरो, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर	38 वीं	राज्य कर संयुक्त आयुक्त, प्रभारी, सीतामढ़ी अंचल, सीतामढ़ी
11	मो० शाहीक, राज्य कर संयुक्त आयुक्त	नालंदा	राज्य कर संयुक्त आयुक्त, प्रभारी, पटना सिटी पूर्वी अंचल, पटना	विशेष	राज्य कर संयुक्त आयुक्त, प्रभारी, जहानाबाद अंचल, जहानाबाद
12	श्री कैसर तौहिद, राज्य कर संयुक्त आयुक्त	वैशाली	राज्य कर संयुक्त आयुक्त, (अंकेक्षण) दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा	विशेष	राज्य कर संयुक्त आयुक्त, अन्वेषण ब्यूरो, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया
13	श्री मकेश्वर शर्मा, राज्य कर संयुक्त आयुक्त	लखीसराय	राज्य कर संयुक्त आयुक्त, अन्वेषण ब्यूरो, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया	विशेष	राज्य कर संयुक्त आयुक्त, प्रभारी, मधुबनी अंचल, मधुबनी
14	श्री नंद किशोर राज, राज्य कर संयुक्त आयुक्त	गोपालगंज	राज्य कर संयुक्त आयुक्त, प्रशिक्षण प्रकोष्ठ, मुख्यालय, बिहार, पटना	41 वीं	राज्य कर संयुक्त आयुक्त, प्रभारी, पटना सिटी पूर्वी अंचल, पटना

15	श्रीमती कंचन बाला राज्य कर संयुक्त आयुक्त	पटना	मुख्यालय बिहार, पटना	42 वीं	राज्य कर संयुक्त आयुक्त (अंकेक्षण), पटना पश्चिमी प्रमंडल, पटना
16	श्री कार्तिक कुमार सिंह, राज्य कर संयुक्त आयुक्त	पटना	राज्य कर संयुक्त आयुक्त, प्रभारी, मुजफ्फरपुर पश्चिमी अंचल, मुजफ्फरपुर	42 वीं	राज्य कर संयुक्त आयुक्त, प्रभारी, पाटलिपुत्र अंचल, पटना

प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
अरूण कुमार मिश्रा, विशेष सचिव।

———————

30 जून 2021

सं0 6/गो–34–01/2021–1086––वाणिज्य कर विभाग के राज्य कर उपायुक्त कोटि के निम्नलिखित पदाधिकारियों को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ–6 में अंकित पद एवं स्थान पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है :–

क्र0 सं0	पदाधिकारी का नाम/पदनाम	गृह जिला	वर्त्तमान पदस्थापन स्थान	बैच	पदस्थापित कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
1	श्री अनुप कुमार, राज्य कर उपायुक्त	नालंदा	राज्य कर उपायुक्त, मुख्यालय, बिहार, पटना	42 वीं	राज्य कर उपायुक्त, पटना उत्तरी अंचल, पटना
2	श्री अभीक अवतंश, राज्य कर उपायुक्त	पटना	राज्य कर उपायुक्त, प्रभारी, जहानाबाद अंचल	42 वीं	राज्य कर उपायुक्त, मुख्यालय, बिहार, पटना
3	श्री अनिल कुमार सिंह विद्यार्थी, राज्य कर उपायुक्त	रोहतास	राज्य कर उपायुक्त, मुख्यालय, बिहार, पटना	42 वीं	राज्य कर उपायुक्त, दानापुर अंचल, दानापुर
4	श्री सुनील कुमार जायसवाल, राज्य कर उपायुक्त	पटना	राज्य कर उपायुक्त, समस्तीपुर अंचल, समस्तीपुर	द्वितीय सीमित	राज्य कर उपायुक्त, अन्वेषण ब्यूरो, सारण प्रमंडल, छपरा।
5	श्री गोपाल प्रसाद राज्य–कर उपायुक्त	नवादा	बेगुसराय अंचल	द्वितीय सीमित	राज्य कर उपायुक्त मुख्यालय, बिहार, पटना
6	श्री रश्मि कुमार सिंह, राज्य–कर उपायुक्त	छपरा	दरभंगा अंचल	द्वितीय सीमित	वित्त विभाग को सेवा सुपुर्द
7	श्री अशर्फी लाल विद्यार्थी, राज्य–कर उपायुक्त	पटना	अंकेक्षण, सारण प्रमंडल, छपरा	द्वितीय सीमित	राज्य कर उपायुक्त अन्वेषण ब्यूरो, पटना पूर्वी प्रमंडल, पटना
8	श्री दिनेश प्रसाद सिंह, राज्य–कर उपायुक्त	पुर्णिया	फारविसगंज अंचल	द्वितीय सीमित	राज्य कर उपायुक्त पूर्णिया प्रमंडल, अन्वेषण ब्यूरो
9	श्री मनोज कुमार साह, राज्य कर उपायुक्त	पटना	राज्य कर उपायुक्त, गया अंचल, गया	48–52 वीं	राज्य कर उपायुक्त, पटना विशेष अंचल, पटना
10	श्री राजीव कुमार झा, राज्य कर उपायुक्त	पटना	राज्य कर उपायुक्त, पूर्णिया अंचल, पूर्णिया	48–52 वीं	राज्य कर उपायुक्त, पाटलिपुत्र अंचल, पटना
11	कुमार शैलेन्द्र, राज्य कर उपायुक्त	पटना	राज्य कर उपायुक्त, मुजफ्फरपुर पश्चिमी अंचल, मुजफ्फरपुर	48–52 वीं	राज्य कर उपायुक्त, पटना विशेष अंचल, पटना

प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
अरूण कुमार मिश्रा, विशेष सचिव।

30 जून 2021

सं0 6/गो–34–01/2021–1087––वाणिज्य कर विभाग के राज्य कर सहायक आयुक्त कोटि के निम्नलिखित पदाधिकारियों को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ–6 में अंकित पद एवं स्थान पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है :–

क्र0 सं0	पदाधिकारी का नाम/पदनाम	गृह जिला	वर्त्तमान पदस्थापन स्थान	बैच	पदस्थापित कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
1	ललीत कुमार, राज्य कर सहायक आयुक्त	पटना	बिहारशरिफ अंचल	38 वीं	राज्य कर सहायक आयुक्त, मगध प्रमंडल, अन्वेषण ब्यूरो, गया
2	श्री मुस्तर अकरम, राज्य कर सहायक आयुक्त	हजारीबाग	राज्य कर सहायक आयुक्त, (अंकेक्षण), केन्द्रीय प्रमंडल, पटना	48–52 वीं	राज्य कर सहायक आयुक्त, अन्वेषण ब्यूरो, मगध प्रमंडल, गया
3	श्री अभिनव कुमार झा, राज्य कर सहायक आयुक्त	मधुबनी	राज्य कर सहायक आयुक्त, मुख्यालय, पटना	53–55 वीं	राज्य कर सहायक आयुक्त, मुख्यालय, पटना में पदस्थापित करते हुए पाटलिपुत्रा अंचल में प्रतिनियुक्त।
4	हेमलता कुमारी, राज्य–कर सहायक आयुक्त	पटना	जहानाबाद अंचल	53–55 वीं	राज्य कर सहायक आयुक्त, पटना पश्चिमी प्रमंडल, अन्वेषण ब्यूरो
5	श्री योगेन्द्र शर्मा, राज्य–कर सहायक आयुक्त	जहानाबाद	भभुआ अंचल	53–55 वीं	राज्य कर सहायक आयुक्त, जमुई अंचल
6	श्री संतोष कुमार, राज्य–कर सहायक आयुक्त	मुजफ्फरपुर	कटिहार अंचल	53–55 वीं	वित्त विभाग को सेवा सुपुर्द
7	श्री अनिल कुमार साह, राज्य–कर सहायक आयुक्त	सीवान	सारण अंचल, छपरा	53–55 वीं	राज्य कर सहायक आयुक्त, प्रशिक्षण प्रकोष्ठ, मुख्यालय, बिहार, पटना
8	श्री कुशेश्वर राउत, राज्य–कर सहायक आयुक्त	मधुबनी	सासाराम अंचल	53–55 वीं	राज्य कर सहायक आयुक्त, दरभंगा अंचल
9	श्री अरूण कुमार चौधरी, राज्य–कर सहायक आयुक्त	मुंगेर	मुजफ्फरपुर पूर्वी अंचल	53–55 वीं	राज्य कर सहायक आयुक्त, अन्वेषण ब्यूरो भागलपुर प्रमंडल
10	श्री विवेक कुमार, राज्य–कर सहायक आयुक्त	सारण	भागलपुर अंचल	53–55 वीं	राज्य कर सहायक आयुक्त, मुख्यालय, बिहार, पटना
11	श्री कुमारी रश्मि राज्य–कर सहायक आयुक्त	पश्चिमी चंपारण	अंकेक्षण, भागलपुर	53–55 वीं	राज्य कर सहायक आयुक्त, पटना दक्षिणी अंचल
12	श्री गंगा प्रसाद राज्य कर सहायक आयुक्त, सीवान अंचल	समस्तीपुर	सीवान अंचल	53–55 वीं	राज्य कर सहायक आयुक्त केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, पटना (मुख्यालय, बिहार, पटना में प्रतिनियुक्ति हेतु)
13	श्री रविन्द्र कुमार राज्य कर सहायक आयुक्त	पटना	वित्त एवं लेखा पदाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना (बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी में प्रतिनियुक्त)	53–55 वीं	राज्य कर सहायक आयुक्त, पटना विशेष अंचल पटना
14	श्री प्रशांत कुमार झा,राज्य कर सहायक आयुक्त	सहरसा	केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, पटना	53–55 वीं	राज्य कर सहायक आयुक्त, पटना विशेष अंचल पटना में प्रतिनियुक्त

15	अमित अंकित, राज्य कर सहायक आयुक्त	बेगुसराय	वाणिज्य कर विभाग मुख्यालय	53–55 वीं	राज्य कर सहायक आयुक्त, पटना विशेष अंचल पटना में प्रतिनियुक्त
16	श्री मुकेश कुमार चौधरी, राज्य कर सहायक आयुक्त	सीतामढ़ी	राज्य कर सहायक आयुक्त पटना सिटी पूर्वी अंचल, पटना	53–55 वीं	राज्य कर सहायक आयुक्त, गया अंचल, गया
17	श्री संतोष कुमार, राज्य कर सहायक आयुक्त	रोहतास	राज्य कर सहायक आयुक्त गया अंचल, गया	53–55 वीं	राज्य कर सहायक आयुक्त पटना सिटी पूर्वी अंचल, पटना
18	निवेदिता, राज्य कर सहायक आयुक्त	पटना	राज्य कर सहायक आयुक्त मुख्यालय, बिहार, पटना	53–55 वीं	राज्य कर सहायक आयुक्त, पटना विशेष अंचल पटना
19	श्री प्रेमचन्द्र भारती, राज्य–कर सहायक आयुक्त	पटना	गया अंचल	तृतीय सीमित	राज्य कर सहायक आयुक्त (अंकेक्षण), पटना पश्चिमी प्रमंडल
20	श्री बलराम प्रसाद, राज्य–कर सहायक आयुक्त	सारण	सुपौल अंचल	तृतीय सीमित	राज्य कर सहायक आयुक्त गोपालगंज अंचल
21	श्री राजन कुमार श्रीवास्तव, राज्य कर सहायक आयुक्त	पूर्वी चम्पारण	राज्य कर सहायक आयुक्त सासाराम अंचल, सासाराम	तृतीय सीमित	राज्य कर सहायक आयुक्त, बेतिया अंचल, बेतिया
22	श्री नागेन्द्र प्रसाद, राज्य–कर सहायक आयुक्त,	मधुबनी	मधेपुरा अंचल	56–59 वीं	राज्य कर सहायक आयुक्त, दरभंगा अंचल
23	श्री विक्रम कुमार, राज्य–कर सहायक आयुक्त	गया	सुपौल अंचल	56–59 वीं	राज्य कर सहायक आयुक्त, बिहार, पटना (मुख्यालय)
24	कुणाल कश्यप, राज्य–कर सहायक आयुक्त	पटना	मुजफ्फरपुर पश्चिमी अंचल	56–59 वीं	बिहार भवन कोषागार, दिल्ली में प्रतिनियुक्ति हेतु वित्त विभाग को सेवा सुपुर्द
25	श्री शशि शेखर सिन्हा राज्य कर सहायक आयुक्त, मुख्यालय	शेखपुरा	मुख्यालय, बिहार, पटना (पदस्थापन की प्रतिक्षा में)	56–59 वीं	वित्त विभाग को सेवा सुपुर्द
26	श्री अमरेश कुमार, राज्य कर सहायक आयुक्त	पटना	राज्य कर सहायक आयुक्त गोपालगंज अंचल, गोपालगंज	56–59 वीं	राज्य कर सहायक आयुक्त, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (प्रशिक्षण प्रकोष्ठ, मुख्यालय, पटना में प्रतिनियुक्ति हेतु)
27	श्री अमित कुमार, राज्य कर सहायक आयुक्त	खगड़िया	राज्य कर सहायक आयुक्त, कदमकुँआ अंचल, पटना	56–59 वीं	राज्य कर सहायक आयुक्त पटना सिटी पूर्वी अंचल, पटना
28	सुस्मिता कुमारी, राज्य–कर सहायक आयुक्त	अररिया	मधेपुरा अंचल	60–62 वीं	राज्य कर सहायक आयुक्त (अंकेक्षण), दरभंगा प्रमंडल
29	असीम कुमार, राज्य–कर सहायक आयुक्त	पटना	दरभंगा अंचल	60–62 वीं	राज्य कर सहायक आयुक्त, पटना विशेष अंचल
30	दीपा ज्योति, राज्य–कर सहायक आयुक्त	पटना	मुजफ्फरपुर पूर्वी अंचल	60–62 वीं	राज्य कर सहायक आयुक्त, प्रशिक्षण प्रकोष्ठ, मुख्यालय, बिहार, पटना
31	गरिमा चौधरी, राज्य–कर सहायक आयुक्त	पटना	बिहारशरीफ अंचल	60–62 वीं	राज्य कर सहायक आयुक्त, प्रशिक्षण प्रकोष्ठ, मुख्यालय, बिहार, पटना
32	वन्दना भारती, राज्य–कर सहायक आयुक्त	खगड़िया	बेगुसराय अंचल	60–62 वीं	राज्य कर सहायक आयुक्त, पटना दक्षिणी अंचल
33	श्री मयंक मृणाल, राज्य कर सहायक आयुक्त	पटना	राज्य कर सहायक आयुक्त नवादा अंचल, नवादा	60–62 वीं	राज्य कर सहायक आयुक्त, भभुआ अंचल, कैमूर

प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
अरूण कुमार मिश्रा, विशेष सचिव।

———————

30 जून 2021

सं0 6/गो–34–01/2021–1088––वाणिज्य कर विभाग में बिहार वित्त सेवा के 63वीं0 बैच के नवनियुक्त परीक्ष्यमान राज्य–कर सहायक आयुक्त कोटि के निम्नलिखित पदाधिकारियों को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ–6 में अंकित पद एवं स्थान पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है :–

क्र० सं०	पदाधिकारी का नाम	संयुक्त मेधा क्रमांक/बैच		गृह जिला	प्रशिक्षण हेतु प्रतिनियुक्ति कार्यालय का नाम	पदस्थापित कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	पीयूष कुमार चौबे	21	63वीं	कैमुर (भभुआ)	पटना विशेष अंचल, पटना	राज्य कर सहायक आयुक्त, पटना विशेष अंचल, पटना
2	सुधीर कुमार पाण्डेय	22	63वीं	देवरिया (उत्तर प्रदेश)	पाटलीपुत्रा अंचल, पटना	राज्य कर सहायक आयुक्त, पाटलिपुत्र अंचल
3	आशीष सौरभ आशुतोष	23	63वीं	पटना	मुजफ्फरपुर पश्चिमी अंचल	राज्य कर सहायक आयुक्त, मुजफ्फरपुर पश्चिमी अंचल
4	जयन्ती कुमारी	26	63वीं	रोहतास	पटना विशेष अंचल, पटना	राज्य कर सहायक आयुक्त, पटना विशेष अंचल, पटना
5	मनीषा सिंह	30	63वीं	पटना	पाटलीपुत्रा अंचल, पटना	राज्य कर सहायक आयुक्त, पाटलिपुत्र अंचल, पटना
6	चन्दन कुमार	31	63वीं	अररिया	पटना दक्षिणी अंचल, पटना	राज्य कर सहायक आयुक्त पटना दक्षिणी अंचल, पटना
7	कुमार तुषारेन्द्र	32	63वीं	पटना	मुजफ्फरपुर पूर्वी अंचल	राज्य कर सहायक आयुक्त, मुजफ्फरपुर पूर्वी अंचल
8	शामीन फिरदौस	41	63वीं	पश्चिम चम्पारण	पटना दक्षिणी अंचल, पटना	राज्य कर सहायक आयुक्त, पटना दक्षिणी अंचल, पटना
9	आकाश आनन्द	43	63वीं	पटना	मुजफ्फरपुर पश्चिमी अंचल	राज्य कर सहायक आयुक्त, पटना पश्चिमी प्रमंडल, अन्वेषण ब्यूरो
10	विवेक मिश्र	44	63वीं	गोरखपुर (उत्तर प्रदेश)	पटना मध्य अंचल, पटना	राज्य कर सहायक आयुक्त पटना मध्य अंचल, पटना
11	कुमार शशांक	45	63वीं	पूर्णिया	पटना मध्य अंचल, पटना	राज्य कर सहायक आयुक्त, पटना मध्य अंचल, पटना
12	अनिकेत अमर	46	63वीं	पटना	दरभंगा अंचल, दरभंगा	राज्य कर सहायक आयुक्त, दरभंगा अंचल, दरभंगा
13	ऋचा कुमारी	47	63वीं	पटना	हाजीपुर, अंचल, वैशाली	राज्य कर सहायक आयुक्त, हाजीपुर अंचल, वैशाली

14	शिल्पी कुमारी	48	63वीं	पटना	हाजीपुर, अंचल, वैशाली	राज्य कर सहायक आयुक्त, दानापुर अंचल
15	गौतम कुमार गोस्वामी	53	63वीं	दरभंगा	पटना पश्चिमी अंचल, पटना	राज्य कर सहायक आयुक्त, पटना पश्चिमी अंचल, पटना
16	रश्मि कुमारी	55	63वीं	नालंदा	पटना दक्षिणी अंचल, पटना	राज्य कर सहायक आयुक्त, पटना दक्षिणी अंचल, पटना
17	संदीप कुमार	57	63वीं	रोहतास	गया अंचल, गया	राज्य कर सहायक आयुक्त, गया अंचल, गया
18	कमलशील	58	63वीं	नालंदा	सासाराम अंचल, रोहतास	राज्य कर सहायक आयुक्त, सासाराम अंचल, रोहतास
19	दीपिका कुमारी	59	63वीं	नवादा	पटन पश्चिमी अंचल, पटना	राज्य कर सहायक आयुक्त भागलपुर अंचल, भागलपुर
20	प्रिय रंजन	62	63वीं	पटना	मुजफ्फरपुर पूर्वी अंचल	राज्य कर सहायक आयुक्त, मुजफ्फरपुर पश्चिमीअंचल
21	प्रेमांशु	63	63वीं	बेगूसराय	पूर्णिया अंचल, पूर्णिया	राज्य कर सहायक आयुक्त, समस्तीपुर अंचल
22	दिव्य प्रकाश	68	63वीं	मुजफ्फरपुर	पटना विशेष अंचल, पटना	राज्य कर सहायक आयुक्त, अन्वेषण ब्यूरो, पटना पूर्वी प्रमंडल
23	स्नेहा वर्मा	69	63वीं	प्रयागराज (उत्तर प्रदेश)	पटना विशेष अंचल, पटना	राज्य कर सहायक आयुक्त, पटना मध्य अंचल, पटना
24	राहूल सिंह	70	63वीं	सारण	पाटलीपुत्रा अंचल, पटना	राज्य कर सहायक आयुक्त, पाटलिपुत्र अंचल
25	आशीष कुमार	71	63वीं	लखीसराय	भागलपुर अंचल, भागलपुर	राज्य कर सहायक आयुक्त, भागलपुर अंचल
26	सोनल कुमार	72	63वीं	नवादा	बिहार शरीफ अंचल, बिहार शरीफ	राज्य कर सहायक आयुक्त, अन्वेषण ब्यूरो, केन्द्रीय प्रमंडल
27	कुमार सौरभ	73	63वीं	पश्चिम चम्पारण	दरभंगा अंचल, दरभंगा	राज्य कर सहायक आयुक्त, दरभंगा अंचल, दरभंगा
28	जय कुमार	74	63वीं	औरंगाबाद	पटना उत्तरी अंचल, पटना	राज्य कर सहायक आयुक्त, पटना उत्तरी अंचल
29	अमित कुन्दन	75	63वीं	औरंगाबाद	जहानाबाद अंचल, जहानाबाद	राज्य कर सहायक आयुक्त, जहानाबाद अंचल, जहानाबाद
30	अमित कुमार	78	63वीं	लखीसराय	पटना मध्य अंचल	राज्य कर सहायक आयुक्त, पटना मध्य अंचल
31	पंकज कुमार	79	63वीं	धनबाद	गया अंचल, गया	राज्य कर सहायक आयुक्त, गया अंचल, गया

32	प्रांजल सिंह	81	63वीं	शाहजहॉपुर (उत्तर प्रदेश)	औरंगाबाद अंचल, औरंगाबाद	राज्य कर सहायक आयुक्त, औरंगाबाद अंचल, औरंगाबाद
33	सौरभ कुमार	82	63वीं	मुजफ्फरपुर	भागलपुर अंचल, भागलपुर	राज्य कर सहायक आयुक्त, भागलपुर अंचल
34	गुंजन कुमार	83	63वीं	पटना	जमुई अंचल, जमुई	राज्य कर सहायक आयुक्त, भागलपुर अंचल, भागलपुर
35	अविनाश कुमार सिंह	84	63वीं	समस्तीपुर	पटना सिटी, पश्चिमी अंचल, पटना	राज्य कर सहायक आयुक्त, पटना सिटी पश्चिमी अंचल
36	मनीष कुमार सिकन्दर	87	63वीं	पटना	लक्खीसराय अंचल, लक्खीसराय	राज्य कर सहायक आयुक्त, खगड़िया अंचल
37	अंकित कुमार	88	63वीं	भोजपुर	भभुआ अंचल, कैमूर	राज्य कर सहायक आयुक्त, भभुआ अंचल, कैमूर
38	मेराज आलम	89	63वीं	नालंदा	पटना सिटी, पूर्वी अंचल, पटना	राज्य कर सहायक आयुक्त, पटना सिटी पूर्वी अंचल, पटना
39	अंशु कुमार	91	63वीं	समस्तीपुर	नवादा अंचल, नवादा	राज्य कर सहायक आयुक्त, नवादा अंचल, नवादा
40	कुसुम कुमारी	92	63वीं	दरभंगा	दानापुर अंचल, पटना	राज्य कर सहायक आयुक्त, दानापुर अंचल
41	प्रभात कुमार सिंह	93	63वीं	प्रयागराज (उत्तर प्रदेश)	औरंगाबाद अंचल, औरंगाबाद	राज्य कर सहायक आयुक्त, गया अंचल
42	मो0 मुसद्दीक	95	63वीं	पूर्णिया	कटिहार अंचल, कटिहार	राज्य कर सहायक आयुक्त, कटिहार अंचल, कटिहार
43	नूपुर सिन्हा	97	63वीं	पटना	कदमकुआं अंचल, पटना	राज्य कर सहायक आयुक्त, पटना उत्तरी अंचल, पटना
44	अनिरूद्ध कुमार	103	63वीं	लखीसराय	मुंगेर अंचल, मुंगेर	राज्य कर सहायक आयुक्त, जमूई अंचल में पदस्थापित करते हुए मुंगेर अंचल में प्रतिनियुक्त
45	चन्दन कुमार	104	63वीं	खगड़िया	कटिहार अंचल, कटिहार	राज्य कर सहायक आयुक्त, कटिहार अंचल, कटिहार
46	रूपेश कुमार	105	63वीं	शेखपुरा	बाढ़ अंचल, बाढ़	राज्य कर सहायक आयुक्त, मुजफ्फरपुर पश्चिमी अंचल
47	कुमार विशाल	106	63वीं	पूर्णिया	सिवान अंचल, सिवान	राज्य कर सहायक आयुक्त (अंकेक्षण), भागलपुर प्रमंडल
48	चाँदनी सुमन	107	63वीं	गया	गांधी मैदान अंचल, पटना	राज्य कर सहायक आयुक्त, गाँधी मैदान अंचल, पटना

49	अभिषेक आनन्द	109	63वीं	सहरसा	किशनगंज अंचल, किशनगंज	राज्य कर सहायक आयुक्त, भागलपुर अंचल, भागलपुर
50	अविनाश कुमार	111	63वीं	पटना	बिहारशरीफ अंचल, बिहारशरीफ	राज्य कर सहायक आयुक्त, पटना सिटी पश्चिमी अंचल
51	सुधीर	116	63वीं	पटना	बेगूसराय अंचल, बेगूसराय	राज्य कर सहायक आयुक्त, बेगुसराय अंचल
52	रवीश कुमार	125	63वीं	मुंगेर	बिहारशरीफ अंचल, बिहारशरीफ	राज्य कर सहायक आयुक्त, बिहारशरीफ अंचल, बिहारशरीफ
53	गुंजन कुमार	126	63वीं	पटना	सिवान अंचल, सिवान	राज्य कर सहायक आयुक्त, सिवान अंचल, सिवान
54	अनु कुमारी	130	63वीं	सारण	पटना सिटी पूर्वी अंचल, पटना	राज्य कर सहायक आयुक्त, पटना पश्चिमी प्रमंडल, अन्वेषण ब्यूरो, पटना
55	खुशबू सिंह	131	63वीं	बक्सर	पटना पश्चिमी अंचल, पटना	राज्य कर सहायक आयुक्त, पटना पश्चिमी अंचल, पटना
56	लोकेश आनंद	133	63वीं	अररिया	मधेपुरा अंचल, मधेपुरा	राज्य कर सहायक आयुक्त, मधेपुरा अंचल
57	नवनीत कुमार	136	63वीं	सारण	सिवान अंचल, सिवान	राज्य कर सहायक आयुक्त, सिवान अंचल, सिवान
58	हरेराम	141	63वीं	रॉची (झारखण्ड)	पटना सिटी पश्चिमी अंचल	राज्य कर सहायक आयुक्त, (अंकेक्षण), केन्द्रीय प्रमंडल, पटना
59	रोहित कुमार शर्मा	142	63वीं	भागलपुर	सहरसा अंचल, सहरसा	राज्य कर सहायक आयुक्त, सहरसा अंचल
60	सरिता कुमारी	143	63वीं	मधुबनी	पटना सिटी पश्चिम अंचल, पटना	राज्य कर सहायक आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल, अन्वेषण ब्यूरो
61	पवन कुमार साह	145	63वीं	गोपालगंज	सारण अंचल, छपरा	राज्य कर सहायक आयुक्त, सारण अंचल, छपरा
62	अनिशा	153	63वीं	पटना	दानापुर अंचल, पटना	राज्य कर सहायक आयुक्त, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, पटना में पदस्थापित करते हुए अन्वेषण ब्यूरो पटना पश्चिमी प्रमंडल में प्रतिनियुक्त
63	रवि रंजन कुमार	155	63वीं	शेखपुरा	बेतिया अंचल, बेतिया	राज्य कर सहायक आयुक्त, लखीसराय अंचल
64	अमर्त्य कुमार आदर्श	156	63वीं	अरवल	सीतामढ़ी अंचल, सीतामढ़ी	राज्य कर सहायक आयुक्त, पटना पूर्वी प्रमंडल, अन्वेषण ब्यूरो
65	ताविषी प्रिया	158	63वीं	पटना	हाजीपुर अंचल, हाजीपुर	राज्य कर सहायक आयुक्त, दानापुर अंचल
66	सौम्या	159	63वीं	शेखपुरा	पटना उत्तरी अंचल, पटना	राज्य कर सहायक आयुक्त, पटना उत्तरी अंचल, पटना

67	दिव्या प्रसन्न	160	63वीं	वैशाली	दानापुर अंचल, पटना	राज्य कर सहायक आयुक्त, दानापुर अंचल
68	दुर्गेश नन्दन	162	63वीं	बेगूसराय	खगड़िया अंचल, खगड़िया	राज्य कर सहायक आयुक्त, तेघड़ा अंचल
69	अफशा पर्वेज	164	63वीं	पटना	कदमकुआं अंचल, पटना	राज्य कर सहायक आयुक्त, पटना सिटी पश्चिमी अंचल
70	ईश्रतजहाँ	167	63वीं	भागलपुर	दानापुर अंचल	राज्य कर सहायक आयुक्त पटना पश्चिमी अंचल
71	अजितेश कुमार सिंह	170	63वीं	शिवहर	सीतामढ़ी अंचल, सीतामढ़ी	राज्य कर सहायक आयुक्त (अंकेक्षण), तिरहुत प्रमंडल
72	शोभना	173	63वीं	जहानाबाद	पटना उत्तरी अंचल, पटना	राज्य कर सहायक आयुक्त, पटना दक्षिणी अंचल, पटना
73	आशुतोष कुमार	177	63वीं	वैशाली	बेतिया अंचल, बेतिया	राज्य कर सहायक आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, अन्वेषण ब्यूरो
74	हुमा अख्तर	180	63वीं	पटना	कदमकुआं अंचल, पटना	राज्य कर सहायक आयुक्त, कदमकुँआ अचंल, पटना
75	सुजय कुमार	186	63वीं	पूर्णियॉ	पटना सिटी पश्चिमी अंचल, पटना	राज्य कर सहायक आयुक्त, केन्द्रीय प्रमंडल अन्वेषण ब्यूरो
76	राहुल कुमार	191	63वीं	भागलपुर	फारबिसगंज अंचल, फारबिसगंज	राज्य कर सहायक आयुक्त फॉरविसगंज अंचल, फॉरविसगंज
77	संगीता गुर्जर	197	63वीं	बक्सर	पटना मध्य अंचल, पटना	राज्य कर सहायक आयुक्त, अन्वेषण ब्यूरो, केन्द्रीय प्रमंडल
78	आस्थागार्गी	198	63वीं	खगड़िया	गांधी मैदान अंचल, पटना	राज्य कर सहायक आयुक्त, पटना मध्य अंचल, पटना
79	कुमार दिवाकर	213	63वीं	मधेपुरा	सहरसा अंचल, सहरसा	राज्य कर सहायक आयुक्त, सुपौल अंचल
80	अविनाश कुमार	220	63वीं	अररिया	किशनगंज अंचल, किशनगंज	राज्य कर सहायक आयुक्त, झंझारपुर अंचल
81	सितेश कुमार	221	63वीं	खगड़िया	कटिहार अंचल, कटिहार	राज्य कर सहायक आयुक्त, पूर्णिया अंचल
82	स्मृति संजयम	223	63वीं	जमुई	लखीसराय अंचल, लखीसराय	राज्य कर सहायक आयुक्त, पटना सिटी पश्चिमी अंचल
83	ऋचांशा ऋजु	226	63वीं	पटना	दानापुर अंचल	राज्य कर सहायक आयुक्त केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, पटना (मुख्यालय, बिहार, पटना में प्रतिनियुक्ति हेतु)
84	अभिषेक कुमार	230	63वीं	पूर्वी चम्पारण	मुंगेर अंचल, मुंगेर	राज्य कर सहायक आयुक्त, पूर्णिया अंचल
85	श्वेता सिंह	244	63वीं	रोहतास	गया अंचल, गया	राज्य कर सहायक आयुक्त, गया अंचल, गया

86	वसुंधरा शंकर	248	63वीं	पटना	दानापुर अंचल	राज्य कर सहायक आयुक्त केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, पटना (मुख्यालय, बिहार, पटना में प्रतिनियुक्ति हेतु)
87	हर्ष रंजन कुमार	257	63वीं	पटना	पटना उतरी अंचल	राज्य कर सहायक आयुक्त, पटना पूर्वी प्रमंडल, अन्वेषण ब्यूरा
88	राज किशोर राम	259	63वीं	सीवान	मोतिहारी अंचल, मोतिहारी	राज्य कर सहायक आयुक्त, मोतिहारी अंचल
89	विरंजनी रानी	266	63वीं	नालंदा	नवादा अंचल, नवादा	राज्य कर सहायक आयुक्त, गया अंचल, गया
90	ऋषि कुमार	290	63वीं	भोजपुर	बाढ़ अंचल, बाढ़	राज्य कर सहायक आयुक्त, पूर्णिया अंचल
91	अचला नन्दिनी	299	63वीं	पूर्वी चम्पारण	गोपालगंज अंचल	राज्य कर सहायक आयुक्त गोपालगंज अंचल
92	रीना राय	302	63वीं	पटना	जहानाबाद अंचल, जहानाबाद	राज्य कर सहायक आयुक्त, जहानाबाद अंचल
93	कौशिकी कौशल	303	63वीं	पटना	पटना दक्षिणी अंचल, पटना	राज्य कर सहायक आयुक्त, पटना मध्य अंचल, पटना
94	प्राची प्रिया	304	63वीं	वैशाली	समस्तीपुर अंचल, समस्तीपुर	राज्य कर सहायक आयुक्त, दरभंगा अंचल
95	सतीश कुमार	322	63वीं	औरंगाबाद	भभुआ अंचल, कैमूर	राज्य कर सहायक आयुक्त, फॉरविसगंज अंचल
96	अश्विनी कुमार	324	63वीं	पश्चिमी चम्पारण	गोपालगंज अंचल, गोपालगंज	राज्य कर सहायक आयुक्त, पूर्णिया अंचल
97	सौम्या	347	63वीं	नालंदा	दानापुर अंचल	राज्य कर सहायक आयुक्त, पटना मध्य अंचल, पटना
98	विनीता कुमारी	390	63वीं	नालंदा	बाढ़ अंचल, बाढ़	राज्य कर सहायक आयुक्त, प्रशिक्षण प्रकोष्ठ, मुख्यालय, बिहार, पटना
99	रणधीर कुमार	455	63वीं	पूर्वी चम्पारण	समस्तीपुर अंचल, समस्तीपुर	राज्य कर सहायक आयुक्त, बेतिया अंचल
100	अनिशा	498	63वीं	मुजफ्फरपुर	सारण अंचल, छपरा	राज्य कर सहायक आयुक्त, अन्वेषण ब्यूरो, पटना पश्चिमी प्रमंडल
101	अनामिका कुमारी	507	63वीं	रोहतास	गॉधी मैदान अंचल	राज्य कर सहायक आयुक्त, मुख्यालय, बिहार, पटना
102	पूनम कुमारी	554	63वीं	रोहतास	बक्सर अंचल, बक्सर	राज्य कर सहायक आयुक्त भभुआ अंचल, कैमूर

103	तनु प्रिया	555	63वीं	पटना	शाहाबाद अंचल, भोजपुर	राज्य कर सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) पटना पश्चिमी प्रमंडल
104	मनीष कुमार तरूण	751	63वीं	खगड़िया	बेगूसराय अंचल, बेगूसराय	राज्य कर सहायक आयुक्त, पूर्णिया अंचल
105	संजीव कुमार	775	63वीं	सारण	मोतिहारी अंचल, मोतिहारी	राज्य कर सहायक आयुक्त, पूर्णिया अंचल

प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
अरूण कुमार मिश्रा, विशेष सचिव।

ग्रामीण विकास विभाग

अधिसूचनाएं

22 जून 2021

सं0 ग्रा0वि0-14 (द0)दर0-02/2017**–470452––**श्री शशि प्रकाश, ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह-प्रभारी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सिहवाड़ा, दरभंगा के विरूद्ध जनप्रतिनिधियों, प्रमुख/उप प्रमुख के साथ अमर्यादित व्यवहार करने, प्रोटोकॉल के विरूद्ध झंडोत्तोलन करने, पंचम राज्य वित्त आयोग अंतर्गत अनुशंसित योजनाओं को कार्यान्वित नहीं करने आदि के आरोप में जिला पदाधिकारी, दरभंगा के पत्रांक-855/स्था0 दिनांक 08.10.2020 के द्वारा आरोप पत्र प्राप्त है।

उक्त आरोप पत्र में वर्णित आरोपों पर श्री शशि प्रकाश से विभागीय ज्ञापांक 347400 दिनांक 30.12.2020 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी। तत्संबंध में श्री शशि प्रकाश के पत्रांक-148 दिनांक 25.01.2021 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया।

विभाग द्वारा श्री शशि प्रकाश के विरूद्ध आरोप एवं स्पष्टीकरण की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि श्री शशि प्रकाश के द्वारा जन प्रतिनिधियों, प्रमुख/उप प्रमुख के साथ अमर्यादित व्यवहार करने का आरोप प्रमाणित है । इनके द्वारा 1200 शिक्षकों के वेतन की कटौती करना व बाद में एक साथ क्षमादान कर देना इनके संदिग्ध आचरण का द्योतक है । स्वतंत्रता दिवस 15.08.2016 के अवसर पर प्रखंड मुख्यालय में झंडोत्तोलन में प्रमुख खड़ी रह गई और इनके द्वारा स्वयं झंडोत्तोलन कर निर्धारित प्रोटोकॉल का उल्लघंन कर सरकारी सेवक के आचरण के प्रतिकूल व्यवहार किया गया ।

सम्यक विचारोपरान्त श्री शशि प्रकाश, ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह-प्रभारी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सिहवाड़ा, दरभंगा के उक्त कृत्य के लिए इन्हें ''असंचयात्मक प्रभाव से तीन वेतन वृद्धि पर रोक एवं निन्दन'' का दंड अधिरोपित किया जाता है।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
बालामुरूगन डी0, सचिव।

---

25 जून 2021

सं0 ग्रा0वि0-14 (पटना) बक्सर -01/2017–472925––श्री अशोक कुमार, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, नावानगर, बक्सर के विरूद्ध कार्यालय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने आदि के आरोप में जिला पदाधिकारी, बक्सर के पत्रांक-10-1762 दिनांक 13.07.2017 के द्वारा आरोप प्रतिवेदित है।

उक्त आरोप पत्र में वर्णित आरोपों पर श्री अशोक कुमार से विभागीय ज्ञापांक 319583 दिनांक 31.07.2017 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी। तत्संबंध में श्री अशोक कुमार के पत्रांक-शून्य दिनांक 18.07.2017 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया।

विभाग द्वारा श्री अशोक कुमार के विरूद्ध आरोप एवं स्पष्टीकरण की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि श्री अशोक कुमार के द्वारा लोकहित के कार्य में शिथिलता बरती गयी है। इनका आचरण सरकारी सेवक आचार नियमावली के प्रतिकूल है।

सम्यक विचारोपरान्त श्री अशोक कुमार, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, नावानगर, बक्सर सम्प्रति कुदरा कैमूर को (वर्ष-2017-18) के लिए निन्दन'' का दंड अधिरोपित किया जाता है।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
बालामुरूगन डी0, सचिव।

---

23 जून 2021

सं0 ग्रा0वि0-14(पटना)बक्सर-02/2018–471434––श्री भगवान झा, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, ब्रहमपुर, बक्सर सम्प्रति प्रखंड विकास पदाधिकारी, बहेड़ी, दरभंगा के विरूद्ध एल0एस0बी0ए0 के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध मात्र 17.78 प्रतिशत ही कार्य कराने, सात निश्चय योजना के अन्तर्गत हर घर नल का जल योजना के क्रियान्वयन हेतु निर्धारित लक्ष्य 60 के विरूद्ध चार अदद ही कार्य कराये जाने, सात निश्चय योजना अन्तर्गत हर घर पक्की गली-नली योजना के निर्धारित 128 के विरूद्ध मात्र 8 अदद ही कार्य प्रारंभ करने, इंदिरा आवास योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 से 2015-16 तक ब्रहमपुर प्रखंड का निर्धारित लक्ष्य 3076 के विरूद्ध केवल 2080 आवास पूर्ण करने एवं प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य 383 के विरूद्ध 340 लाभार्थियों को आवास सॉफ्ट पर स्वीकृति देने जो निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप नहीं है से संबंधित आरोपों पर जिला पदाधिकारी, बक्सर के पत्रांक-394 दिनांक 28.04.2018 द्वारा आरोप पत्र प्राप्त है।

उक्त प्रतिवेदित आरोपों पर श्री भगवान झा से स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया। श्री झा के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि प्रखंड में एल0एस0बी0ए0 अन्तर्गत 66 प्रतिशत शौचालय का निर्माण करवाया गया जिसमें 65 प्रतिशत इन्ट्री एम0आई0एस0 में करवाया गया । मुखिया के हठधर्मिता के कारण हर घर नल का जल योजना के कार्यान्वयन में विलंब हुआ । हर घर पक्की गली-नाली योजना में 128 के विरूद्ध 79 वार्डों में कार्य प्रारंभ करवाया गया । साथ ही वे दिनांक 02.11.2017 से 18.01.2018 तक बीमार रहे जिसके कारण योजनाओं की प्रगति पर प्रभाव पड़ा । प्रतिवेदित आरोप एवं स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत यह पाया गया कि श्री झा के द्वारा उनके विरूद्ध धारित आरोपों के संबंध में स्पष्टीकरण के साथ कोई साक्ष्य नहीं संलग्न किया गया है जिससे लोक हित के कार्य में शिथिलता एवं सरकारी सेवक के आचरण के प्रतिकूल कार्य करने का आरोप पाया गया ।

अत: सम्यक विचारोपरांत श्री भगवान झा, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, ब्रहमपुर, बक्सर सम्प्रति प्रखंड विकास पदाधिकारी, बहेड़ी, दरभंगा को असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि अवरूद्ध करने का दंड अधिरोपित किया जाता है।

आदेश दिया जाता है कि श्री झा के चारित्री पुस्तिका में इस दंड की प्रविष्टि की जाय।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
बालामुरूगन डी0, सचिव।

---

25 जून 2021

सं0 ग्रा0वि0-14(को0) सु0-02/2020–472917––श्री सुभाष कुमार, ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह-प्रभारी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, राघोपुर, सुपौल के विरूद्ध उप सरपंच एवं उप मुखिया, ग्राम-पंचायत सिमराही के अविश्वास प्रस्ताव एवं उसके पश्चात निर्वाचन में त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया अपनाने के आरोप में सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना के पत्र संख्या-134 दिनांक 22.01.2020 के द्वारा आरोप पत्र प्राप्त है।

उक्त आरोप पत्र में वर्णित आरोपों पर श्री कुमार से विभागीय ज्ञापांक 459159 दिनांक 03.03.2020 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी। तत्संबंध में श्री कुमार के पत्रांक-835-2 दिनांक 12.09.2020 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया।

विभाग द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध आरोप एवं स्पष्टीकरण की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि इनके द्वारा उप सरपंच एवं उप मुखिया के अविश्वास प्रस्ताव एवं उसके पश्चात निर्वाचन में त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया अपनाई गयी है।

सम्यक विचारोपरांत श्री सुभाष कुमार, ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह-प्रभारी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, राघोपुर, सुपौल द्वारा बरती गयी उक्त शिथिलता के लिए इन्हें ''असंचयात्मक'' प्रभाव से दो वेतन वृद्धि अवरूद्ध करने का दंड अधिरोपित किया जाता है।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
बालामुरूगन डी०, सचिव।

---

23 जून 2021

सं0 ग्रा0वि0-14(पटना) पटना-01/2019–471516––श्री चन्दन कुमार, ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी, पालीगंज, पटना के विरूद्ध कार्य में शिथिलता/स्वेच्छाचारिता/कार्य के प्रति उदासीनता, पर्यवेक्षण के अभाव स्वच्छ भारत मिशन/लोहिया स्वच्छता अभियान के तहत 1HHL इन्ट्री एवं प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं करने, शेयर शौचालय को पारिवारिक शौचालय में परिवर्तित करने तथा जिओ टैगिंग आदि में उनके द्वारा शिथिलता बरतने के आरोपों पर जिला पदाधिकारी, पटना के पत्रांक 1973 दिनांक 26.12.2018, पत्रांक 475 दिनांक 29.04.2019 एवं पत्रांक 602 दिनांक 13.06.2019 द्वारा दो आरोप पत्र एवं एक पत्र प्राप्त है।

उक्त आरोपों पर श्री कुमार का स्पष्टीकरण प्राप्त है। श्री कुमार के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि उनके द्वारा धारित सभी आरोपों पर कार्रवाई की गई तथा अनियमितता में उनकी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भूमिका नहीं है । पालीगंज प्रखंड में कार्यरत रहते हुए पत्रांक 56/18.03.2019 प्राप्त नहीं हुआ था परंतु दिनांक 23.07.2019 को उनके सरकारी ई-मेल पर प्राप्त हुआ । अत: उक्त अनुशंसा पर उनके द्वारा कार्रवाई नहीं की गई क्योंकि उक्त तिथि को वे पालीगंज प्रखंड में पदस्थापित नहीं थे ।

श्री कुमार के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, पटना के द्वारा गठित आरोप पत्र एवं श्री कुमार के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री कुमार के विरूद्ध धारित आरोप गंभीर प्रकृति के हैं जिनके वृहत् जाँच की आवश्यकता है। आरोपों के वृहत एवं गहन जाँच के लिए विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया।

उक्त के आलोक में उपरोक्त दो आरोप पत्र एवं एक पत्र में धारित आरोपों की वृहत् एवं गहन जाँच हेतु श्री कुमार के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की जाती है। संचालन पदाधिकारी श्री भरत दूबे, सूचीबद्ध संचालन पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को नामित किया जाता है। उपस्थापन पदाधिकारी जिला पदाधिकारी, पटना द्वारा नामित जिला स्तर के वरीय पदाधिकारी होंगे।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय । आरोपित पदाधिकारी को आदेश दिया जाता है कि वे संचालन पदाधिकारी के समक्ष उनके द्वारा निर्धारित सुनवाई की तिथि को उपस्थित होकर अपना पक्ष रखेंगे।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
बालामुरूगन डी०, सचिव।

---

23 जून 2021

सं0 ग्रा0वि0-14(ति0) पूर्वी चम्पारण-02/2019–471409––श्री अरविन्द कुमार गुप्ता, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, छौड़ादानों, पूर्वी चम्पारण के विरूद्ध जिला पदाधिकारी के पत्रांक 30 दिनांक 08.03.2019 द्वारा आरोप पत्र प्राप्त है।

आरोप पत्र में श्री सोनु कुमार के द्वारा माननीय लोकायुक्त, बिहार पटना को परिवाद पत्र दिया गया। जिसकी सुनवाई के पश्चात माननीय सदस्य लोकायुक्त (न्यायिक), लोकायुक्त, बिहार, पटना के द्वारा पारित आदेश के आलोक में परिवाद पत्र में लगाये गये आरोपों की जाँच अनुमंडल पदाधिकारी, रक्सौल से कराई गई। अनुमंडल पदाधिकारी, रक्सौल के द्वारा जाँच में दोषी पाए जाने पर आरोप पत्र प्राप्त है।

श्री अरविन्द कुमार गुप्ता के विरूद्ध जिला पदाधिकारी के द्वारा गठित आरोप एवं श्री कुमार के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त श्री अरविन्द कुमार गुप्ता के विरूद्ध धारित आरोप गंभीर प्रकृति के है जिनके वृहत जाँच के लिए विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया।

उक्त के आलोक में उपरोक्त आरोप पत्र में धारित आरोपों की बृहत एवं गहन जाँच हेतु श्री अरविन्द कुमार गुप्ता के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की जाती है। संचालन पदाधिकारी श्री भरत झा, सूचीबद्ध संचालन पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को नामित किया जाता है। उपस्थापन पदाधिकारी जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण द्वारा नामित जिला स्तर के वरीय पदाधिकारी होंगे।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय। आरोपित पदाधिकारी को आदेश दिया जाता है कि वे संचालन पदाधिकारी के समक्ष उनके द्वारा निर्धारित सुनवाई की तिथि को उपस्थित होकर अपना पक्ष रखेंगे।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
बालामुरूगन डी०, सचिव।

---

17 जून 2021

सं0 ग्रा0वि0-14(ति0)वै0-03/2020–467369––श्री मनोज कुमार, सहायक निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी-सह- तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, महुआ, वैशाली के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, वैशाली के पत्रांक-1130 दिनांक 17.09.2020 एवं अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी निर्वाचन विभाग के पत्रांक-4426 दिनांक 10.10.2020 द्वारा आरोप प्राप्त हुआ। आरोप में सरकारी खाद्यान्न निरीक्षण/पर्यवेक्षण में डीलर को लाभ पहुँचाने की मंशा से जान-बूझकर गंभीर अनियमितता एवं प्रशासनिक लापरवाही, अनुमंडल पदाधिकारी, महुआ द्वारा डीलर पर कार्रवाई हेतु निदेशित करने के पश्चात भी कार्रवाई नहीं किया जाना, ससमय वरीय पदाधिकारी के निदेशानुसार प्रतिवेदन सहित बार-बार उपस्थित नहीं होकर इनके विरूद्ध की गई शिकायतों की जाँच कार्य को बाधित करने की कोशिश शून्य तथा जाँच कार्य पूर्ण नहीं होने देना, वरीय पदाधिकारी के आदेश/निदेश की बारम्बार आदतन अवहेलना करना, गंभीर अनियमितता एवं प्रशासनिक लापरवाही बरतने का आरोप गठित किया गया है। इसके अतिरिक्त जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी पैक्स निर्वाचन 2019 के दौरान बिना सक्षम अनुमति के तीन मतदान केन्द्रों के स्थान परिवर्तन एवं प्रशासनिक अनियमितता एवं अनुशासनहीनता के कारण बिहार विधान सभा निर्वाचन 2020 का कार्य बाधित होने आदि आरोप प्रतिवेदित है।

उक्त प्रतिवेदित आरोप पर श्री कुमार से स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया।

प्रतिवेदित आरोप एवं स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत पाया गया कि श्री कुमार के द्वारा उच्चाधिकारी के आदेश की अवेहलना तथा कार्य में लापरवाही बरती गई।

अत: श्री मनोज कुमार, सहायक निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी-सह-तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, महुआ, वैशाली के विरूद्ध असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि अवरूद्ध करने का दंड अधिरोपित किया जाता है।

आदेश दिया जाता है कि श्री मनोज कुमार के चारित्री में इस दंड की प्रविष्टि की जाय।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय ।

राज्यपाल के आदेश से,
बालामुरूगन डी०, सचिव।

---

23 जून 2021

सं0 ग्रा0वि0-14(पटना) भोजपुर-02/2015–471814––श्री मनोज कुमार, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गड़हनी, भोजपुर के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, भोजपुर, आरा के पत्रांक-1158 दिनांक 28.04.2015 द्वारा आरोप प्राप्त हुआ। आरोप में मुख्यालय से वगैर किसी पूर्व सूचना के अनधिकृत रूप से अनुपस्थित एवं मोबाइल बंद रखने का आरोप प्रतिवेदित है।

उक्त प्रतिवेदित आरोप पर श्री कुमार से स्पष्टीकरण अप्राप्त है।

प्रतिवेदित आरोप के समीक्षोपरांत पाया गया कि श्री कुमार के द्वारा मुख्यालय से वगैर किसी पूर्व सूचना के अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहें है।

अत: श्री मनोज कुमार, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गड़हनी, भोजपुर के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, भोजपुर, आरा सम्प्रति सहायक परियोजना पदाधिकारी, वैशाली के विरूद्ध चेतावनी का दंड अधिरोपित किया जाता है।

आदेश दिया जाता है कि श्री मनोज कुमार के चारित्री में इस दंड की प्रविष्टि की जाय।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय ।

राज्यपाल के आदेश से,
बालामुरूगन डी0, सचिव।

---

25 जून 2021

सं0 ग्रा0वि0-14(पटना) भोजपुर-01/2019–472904––श्री प्रभाकर कुमार, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी जगदीशपुर, भोजपुर के विरूद्ध सरकारी कार्य के प्रति लापरवाही, कर्तव्यहीनता, स्वेच्छाचारिता एवं सरकारी दायित्वों का निर्वहन नहीं करने के आरोप में क्रमश: आयुक्त के कार्यालय, पटना प्रमंडल पटना के पत्रांक-559 दिनांक 29.03.2019 से प्राप्त जिला पदाधिकारी, भोजपुर के पत्रांक-112 दिनांक 25.02.2019 द्वारा आरोप पत्र प्राप्त है।

उक्त आरोपों पर श्री कुमार से विभागीय ज्ञापांक 445232 दिनांक 25.10.2019 स्पष्टीकरण की मांग की गयी। तत्संबंध में श्री कुमार के पत्रांक-1727 दिनांक 13.11.2019 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया।

विभाग द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध आरोप एवं स्पष्टीकरण की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि इनके द्वारा वरीय पदाधिकारी, के आदेश की अवहेलना किया गया है। इनका स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं ।

अत: सम्यक विचारोपरान्त श्री प्रभाकर कुमार, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिवकारी जगदीशपुर, भोजपुर सम्प्रति प्रखंड विकास पदाधिकारी, कलेर, अरवल को भविष्य के लिए सचेष्ट किया जाता है।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
बालामुरूगन डी0, सचिव।

---

25 जून 2021

सं0 ग्रा0वि0-14(पूर्णिया) कटिहार-02/2019–472953––श्री पूरण साह, तत्कालीन प्रभारी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी-सह-प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, आजमनगर, कटिहार के विरूद्ध जन वितरण प्रणाली विक्रेता के चयन में लापरवाही के आरोप में जिला पदाधिकारी, कटिहार के पत्रांक-557 दिनांक 08.08.2019 के द्वारा आरोप पत्र प्राप्त है।

उक्त आरोप पत्र में वर्णित आरोपों पर श्री साह से विभागीय ज्ञापांक 441797 दिनांक 23.09.2019 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी। तत्संबंध में श्री साह के पत्रांक-153 दिनांक 01.11.2019 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया।

विभाग द्वारा श्री साह के विरूद्ध आरोप एवं स्पष्टीकरण की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि जन वितरण प्रणाली विक्रेता के चयन में लापरवाही बरती गयी है।

सम्यक विचारोपरान्त श्री पूरण साह, तत्कालीन प्रभारी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी-सह-प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, आजमनगर, कटिहार सम्प्रति प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, दिघल बैंक द्वारा बरती गयी उक्त शिथिलता के लिए इन्हें ''चेतावनी'' का दंड अधिरोपित किया जाता है।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
बालामुरूगन डी0, सचिव।

कार्यालय आदेश
23 जून 2021

सं0 ग्रा0वि0-14(पटना) रोहतास-04/2019–471829––श्री सुनील कुमार, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, शिवसागर, रोहतास सम्प्रति प्रखंड विकास पदाधिकारी, मानसी, खगड़िया के विरूद्ध अतिक्रमण वाद में वरीय पदाधिकारी एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं करने के कारण राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन को अवमानना वाद का सामना करना पड़ा जो इनकी लापरवाही एवं अनुशासनहीनता का द्योतक है के आरोप पर जिला पदाधिकारी, शिवसागर, रोहतास के पत्रांक 552 दिनांक 27.09.2019 के द्वारा आरोप पत्र प्राप्त है।

जिला पदाधिकारी से प्राप्त आरोप पत्र पर विभागीय ज्ञापांक 449505 दिनांक 04.12.2019 के द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण की माँग की गयी।

श्री कुमार के द्वारा दिनांक 18.12.2019 को अपना स्पष्टीकरण विभाग में समर्पित किया गया है । श्री कुमार के विरूद्ध जिला पदाधिकारी से प्रतिवेदित आरोप एवं स्पष्टीकरण की समीक्षा विभाग द्वारा किया गया। समीक्षोपरांत यह पाया गया कि श्री कुमार के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में ठोस साक्ष्य समर्पित नहीं किया गया है, जिससे कार्य में शिथिलता एवं सरकारी सेवक के आचरण के प्रतिकूल कार्य करने का आरोप स्पष्ट होता है ।

अत: सम्यक विचारोपरांत श्री सुनील कुमार, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, शिवसागर, रोहतास सम्प्रति प्रखंड विकास पदाधिकारी, मानसी, खगड़िया को चेतावनी का दंड अधिरोपित किया जाता है।

आदेश दिया जाता है कि श्री कुमार के चारित्री पुस्तिका में इस दंड की प्रविष्टि की जाय।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
बालामुरूगन डी0, सचिव।

कार्यालय आदेश
23 जून 2021

सं0 ग्रा0वि0-14(पटना) पटना-03/2017–471572––श्रीमती आभा सिन्हा, महिला प्रसार पदाधिकारी, फुलवारीशरीफ, पटना के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, पटना के पत्रांक-1417 दिनांक 30.03.2017 द्वारा आरोप पत्र प्राप्त है जिसमें पतंग उत्सव कार्यक्रम के दौरान दिनांक 14.01.2017 की संध्या में नाव दुर्घटना की घटना हुई। जिसमें प्रतिनियुक्ति स्थल से अनधिकृत रूप अनुपस्थित रहने का आरोप प्रतिवेदित है।

जिला पदाधिकारी से प्रतिवेदित आरोपों पर श्रीमती आभा सिन्हा से स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया।

जिला पदाधिकारी से प्रतिवेदित आरोपों एवं स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत पाया गया कि श्रीमती आभा सिन्हा अपने प्रतिनियुक्ति स्थल से अनुपस्थित थे उनके द्वारा अपनी अनुपस्थिति के संबंध में न तो कोई अनुमति ली गयी अथवा इसकी सूचना वरीय पदाधिकारियों को दी गयी।

अत: श्रीमती आभा सिन्हा, महिला प्रसार पदाधिकारी, फुलवारीशरीफ, पटना को आदेश की अवहेलना सहित अनाधिकृत अनुपस्थिति एवं कर्तव्य में लापरवाही बरतने के लिए (वर्ष-2016-17) के लिए निन्दन का दंड अधिरोपित किया जाता है।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय ।

आदेश से,
बालामुरूगन डी0, सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 13—571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in

भाग–9–ख

निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।

सूचना

सं0 662––मैं शुभम, पिता–श्री भरत भूषण कुमार सिंह, मुहल्ला सर्वोदय नगर बीबीगंज, पोस्ट–प्रधान डाकघर, थाना–सदर, जिला–मुजफ्फरपुर का स्थायी निवासी हूँ। मैं शपथ पत्र 16413, दिनांक 15.3.2021 के माध्यम से घोषणा करता हूँ कि गजट प्रकाशन के उपरान्त मैं शुभम कुमार सिंह के नाम से जाना एवं पहचाना जाउंगा।

शुभम।

सं0 663––मैं सुमन कुमार सिंह, डायनेज कॉलोनी, कोशी प्रोजेक्ट, सहरसा घोषणा करता हूँ कि मेरी पुत्री कुमारी युक्ति अब युक्ति सिंह (YUKTI SINGH) के नाम से जानी जाएगी। शपथ पत्र संख्या–1946/03–04–2021.

सुमन कुमार सिंह।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 13—571+10-डी0टी0पी0।
Website : http : //egazette . bih . nic . in

बिहार गजट
का
पूरक (अ0)
प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

सं0 कारा / नि0को0(अधी0)–01–10 / 2021–5581

कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय

गृह विभाग (कारा)

संकल्प

10 जुलाई 2021

चूँकि बिहार–राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि दिनांक 03.03.2021 को जिलाधिकारी, नवादा एवं पुलिस अधीक्षक, नवादा के नेतृत्व में जिला प्रशासन द्वारा मंडल कारा, नवादा में की गई औचक छापेमारी में 09 मोबाईल फोन, 04 मोबाईल चार्जर, 03 मोबाईल बैट्री एवं अन्य प्रतिबंधित सामग्रियों की बरामदगी तथा इसके पूर्व दिनांक 02.03.2019, दिनांक 30.05.2019 एवं दिनांक 05.01.2020 को जिला प्रशासन द्वारा कारा में की गई औचक छापेमारी में भारी मात्रा में प्रतिबंधित सामग्रियों की बरामदगी की घटना में श्री महेश रजक, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, नवादा सम्प्रति निलंबित (संलग्न केन्द्रीय कारा, मोतिहारी) द्वारा अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही एवं उदासीनता बरती गई है।

श्री रजक का यह कृत्य बिहार कारा हस्तक, 2012 के नियम 140, 796 (i), (ii), 870 (iii) एवं बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम–3 (1), (2) के विहित प्रावधानों के सर्वथा प्रतिकूल है, जैसा कि संलग्न आरोप पत्र में वर्णित है।

2. अतः यह निर्णय लिया गया है कि श्री महेश रजक, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, नवादा सम्प्रति निलंबित (संलग्न केन्द्रीय कारा, मोतिहारी) के विरूद्ध संलग्न प्रपत्र 'क' में अंकित आरोपों की जाँच के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में विभागीय कार्यवाही संचालित की जाय।

3. इस विभागीय कार्यवाही के संचालन के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17 (2) के तहत आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया को संचालन पदाधिकारी तथा अधीक्षक, मंडल कारा, नवादा को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

4. श्री रजक से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु, जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित हों।

5. संचालन पदाधिकारी विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन निर्धारित अवधि के अन्दर समर्पित करेंगे।

6. विभागीय कार्यवाही के संचालन के प्रस्ताव पर माननीय मुख्य (गृह) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
रजनीश कुमार सिंह, संयुक्त सचिव–सह–निदेशक (प्र0)।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 13—571+10–डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in